न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा
E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

मिसल नम्बर – 2013/00243

1. राजेंद्र कुमार आत्मज श्री किशन सहाय जी जाति कायस्थ उम्र 72 वर्ष निवासी ग्राम विजयपाडा रामपुरा कोटा
हाल निवासी सी–5 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बल्लभबाड़ी कोटा–जरिये मुख्तारश्री मुकेशचन्द्र आत्मज श्री जसवतंतसिंह जी जाति बंजारा उम्र 38 वर्ष निवासी खाई रोड़ नयापुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

बनाम

1. गोपी आत्मज श्री लाल उर्फ लालचन्द जी जाति बैरवा
2. शंकर आत्मज श्रीलाल उर्फ लालचन्द जी जाति बैरवा
3. शैलानी आत्मज श्रीलाल उर्फ लालचन्द जी जाति बैरवा
4. रवि आत्मज श्रीलाल उर्फ लालचन्द जी जाति बैरवा

निवासीगण रामदेव जी मंदिर के पास, कालपुरा वार्ड नं0 54, नयापुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

निर्णय दिनांक 06.12.2024

(वाद अन्तर्गत धारा 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

वादी द्वारा एक वाद इस बाबत् प्रस्तुत किया गया है कि वादी के खाते व कब्जे के आराजी खसरा नं0 76 रकबा 0.02 है0 भूमि ग्राम लाडपुरा में स्थित है। उक्त भूमि में एक चाह भी स्थित था, जिसमें सीपेज एवं सीवरेज का पानी आने से कुएं का पानी दूषित हो जाने के कारण वादी द्वारा उक्त चाह को भरवा दिया गया है। वादी का कथन है कि दिनांक 29.06.2013 को प्रतिवादीगण द्वारा नाजायज अतिक्रमण करने के उद्देश्य से उक्त भूमि पर नींव खुदवाना प्रारंभ किया वादी के प्रतिनिधि द्वारा जब प्रतिवादीगण को नींव खोदने से मना किया, तो प्रतिवादीगण मारने–पीटने पर आमादा हो गए। प्रतिवादीगण को भूमि पर ना तो कोई हक है ना ही कोई अधिकार है। अतः प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वे वादी के खाते की आराजी खसरा नं0 76 पर किसी प्रकार का कोई नाजायज कब्जा नहीं करें और इस भूमि पर कोई निर्माण नहीं करें तथा प्रतिवादीगण द्वारा दौराने वाद कोई कब्जा कर लिया गया है अथवा कोई निर्माण कर लिया गया है, तो इस भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर भूमि पर वादी को कब्जा दिलवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत ऑर्डर 7 नियम 11 जाब्ता दिवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी मूलतः खसरा नं0 76 की भूमि में चाह बताकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ है, उस विवादित आराजी पर कोई चाह नहीं है तथा भूमि चाह आबादी में आ चुकी है। वर्तमान में कोई काश्त की जमीन उपलब्ध नहीं है, इस कारण उक्त वाद राजस्व न्यायालय के श्रवण योग्य नहीं है। साथ ही प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त आराजी आबादी क्षे. में स्थित है तथा उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है तथा उनके नाम नगर निगम कोटा द्वारा भूमि का पट्टा भी जारी किया जा चुका है, इस कारण उक्त वाद सिविल प्रकृति का होने के कारण माननीय न्यायालय में चलने योग्य नहीं है।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 नियम 11 का वादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी ग्राम लाडपुरा की आराजी खसरा नं0 76 रकबा 0.02 है0 का खातेदार टीनेंट है। उक्त भूमि वर्तमान में भी कृषि भूमि ही है, इसकी किस्म आज तक परिवर्तित नहीं हुई है। कृषि भूमि होने के कारण माननीय न्यायालय को प्रस्तुत वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वादी द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि वर्णित भूमि कृषि भूमि है, इस भूमि का कोई पट्टा नगर निगम कोटा द्वारा जारी नहीं किया गया तथा नगर निगम कोटा को वादी के खाते की भूमि का पट्टा देने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि अन्य भूमि के पट्टे की आड में प्रतिवादीगण वादी के खाते व कब्जे की भूमि में अतिक्रमण करना चाहते हैं, जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। अतः वादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाएं।

प्रकरण में बहस वकुलाय फरीकेन सुनी गई। प्रार्थना पत्र के प्रार्थी प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि हस्तगत प्रकरण लाडपुरा के सघन आबादी क्षेत्र का है, जहां कोई चाह स्थित नहीं है। परिवादी जिस स्थान पर निवास कर रहे हैं, उस स्थान का राजस्थान स्टेट ग्रांट एक्ट 1961 के तहत् पट्टा नगर निगम कोटा द्वारा सुगनी बाई के नाम से 22.07.2013 को जारी किया गया है तथा प्रतिवादीगण इस स्थान पर बरसों से निवास कर रहे हैं। विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि उनके द्वारा उसी स्थान पर मकान बनाया गया है, जिस स्थान का पट्टा नगर निगम द्वारा जारी किया गया था। यदि प्रार्थीगण को पट्टे पर कोई एतराज है, तो उन्हें सिविल कोर्ट से पट्टा खारिज करवाना चाहिए। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि से वर्जित है तथा न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। विद्वान अभिभाषक द्वारा अनुरोध किया गया कि पट्टे में अंकित नजरी नक्शे से मौके की स्थिति का मिलान किया जा सकता है, उनके द्वारा अपने सांपात्तिक अधिकारों के तहत् ही पुराने मकान के स्थान पर नवीन मकान का निर्माण कराया गया है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का यह भी कथन है कि प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष क्लीन हेंड से नहीं आया है। वादग्रस्त भूमि काबिल काश्त भूमि नहीं है, बल्कि काफी अरसे से

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वहां घनी आबादी बसी हुई हैं। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा भी नहीं है। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण का कथन है कि वादी द्वारा स्वयं धारा 188 के साथ धारा 183 प्रस्तुत करने से यह प्रमाणित होता है कि वादी स्वयं यह स्वीकार कर रहा है कि मौके पर उसका कब्जा नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में इसी आधार पर संपूर्ण तथ्यों को विवेचित करते हुए 03.03.2014 को प्रार्थीगण का स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी खारिज किया गया। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण का अंत में कथन है कि हस्तगत भूमि रामदेव जी के मंदिर के पास कालपुरा कोटा में स्थित है, जिसमें गत 50 वर्षों से उनके पूर्वज व वर्तमान में अप्रार्थीगण बतौर मालिक निवास कर रहे हैं। उक्त मकान के चारों ओर घनी आबादी बसी हुई हैं कोई कृषि आराजी स्थित नहीं है। हस्तगत भूमि का नगर निगम द्वारा पट्टा जारी किया गया है, जो पुनः प्रमाणित करता है कि यह सघन आबादी क्षेत्र है। अतः विधि के द्वारा वर्जित होने के कारण प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जावे।

विद्वान अभिभाषक वादी का कथन है कि उनके द्वारा जमाबंदी प्रस्तुत की गई है, जो यह प्रमाणित करती है कि प्रार्थी हस्तगत खसरा नं0 का खातेदार है। सीपेज के कारण कुएं को भरवा दिया गया था, जब अतिक्रमण प्रारंभ किया उसी समय मेरे द्वारा वाद प्रस्तुत कर दिया गया था। पट्टे में कोई खसरा नं0 अंकित नहीं है यदि पट्टा इस जमीन का होता तो भूमि निगम के खाते दर्ज होनी चाहिए थी। विद्वान अभिभाषक वादी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण का कथन है कि उन्हें स्टेट ग्रांट का पट्टा मिला है यह पट्टा किस स्थान का है यह तो साक्ष्यों के आधार पर ही तय किया जा सकता है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली और संलग्न दस्तावेजों का आद्योपांत अध्ययन किया तथा वकुलाय फरीकेन की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि जिस स्थान पर उनका मकान स्थित है उसका पट्टा नगर निगम कोटा द्वारा जारी किया गया है तथा यह संपूर्ण क्षेत्र घनी आबादी क्षेत्र है, जिसमें इस न्यायालय को प्रकरण को सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी का यह भी कथन रहा है कि यदि वादीगण पट्टे की वैधानिकता को चुनौती देना चाहते हैं तो उन्हें सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए था। हस्तगत वाद राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार में ना होने के कारण विधि से बाधित है वहीं प्रार्थीगण का कथन रहा है कि जमाबंदी में उनके नाम का अंकन है इस कारण इस न्यायालय को प्रकरण का श्रवणाधिकार प्राप्त है, लेकिन समस्त दस्तावेजों व बहस में वादी द्वारा इस तथ्य का प्रतिउत्तर किसी भी स्थान पर नहीं दिया गया है कि वह हस्तगत खसरा नं0 पर काश्त कर रहा है तथा यह घनी आबादी का क्षेत्र नहीं है। संलग्न जमाबंदी में हस्तगत भूमि को गैर मुमकिन चाह बताया गया है लेकिन प्रार्थी द्वारा यह स्वयं स्वीकार किया गया है कि मौके पर कोई चाह स्थित नहीं है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि भूमि अपने मूल स्वरूप में

उपखण्ड अधिकारी कोटा

नहीं है। उक्त परिस्थितियों में इस न्यायालय के विनम्र मत में यह स्वीकार किया जाना न्यायोचित है कि यह क्षेत्र घनी आबादी क्षेत्र है, भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है तथा नगर निगम द्वारा पट्टा जारी किया जाना यह पुनः प्रमाणित करता है कि उक्त स्थान आबादी क्षेत्र में स्थित है।

उक्त परिस्थितियों में हम प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते हैं। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 188, 183 जाप्ता दीवानी खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 6/12/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा